सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 445 राँची, बुधवार, 14 सितम्बर, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2022

संख्या-02/परि॰आ॰(VSP)-08/2021-1316--झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (यथासंशोधित) अधिनियम, 2001 की धारा-15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989-सह- यथासंशोधित नियमावली, 2021 मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अन्तर्गत वाहनों के स्क्रेपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मोटर यानों को पथकर भुगतान में रियायत निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र॰सं॰	प्रयोजन	मोटरवाहन कर में रियायत
1.	यदि वाहन “निक्षेप प्रमाण-पत्र” (Certificate of Deposit) प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत Register Vehicle Scrapping Facility (RVSF) को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, तो नये मोटरयान के निबंधन के समय यान का स्क्रेपिंग प्रमाण-पत्र (Vehicle Scrapping Certificate) प्रस्तुत करने पर।	गैर परिवहन वाहन के मामले में वर्त्तमान कर का 25% छूट/रियायत मोटरवाहन कर में प्रदान किया जायेगा, जिसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक किया जा सकेगा ।
		परिवहन वाहन के मामले में वर्त्तमान कर का 15% छूट/रियायत मोटरवाहन कर में प्रदान किया जायेगा, जिसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 08 वर्ष तक किया जा सकेगा ।

2. यह अधिसूचना झारखण्ड गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा ।

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति बैठक दिनांक-01.09.2022 में मद सं॰-13 के रूप में प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 445 - 50